पंजीकृत

कार्यालय महालेखाकार (ले० व हक०) द्वितीय
20 सरोजनी नायडू मार्ग उ०प्र० प्रयागराज

सत्यमेव जयते

Phones: Off. 2622625-26
Fax; 0532-2624402

पत्रांकः–पेंशन विविध/LID-31466,31454/746
दिनांकः– 18/10/2022

सेवा मे,

मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी
समस्त कोषागार को ई-मेल द्वारा

विषय :– अन्य राज्यों के राज्य कर्मचारियों कें पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान ।

महोदय,

इस कार्यालय के पत्रांक पेंशन विविध/मंहगाई राहत /अन्य प्रान्त/ दिनांक कें कम में मैं इस पत्र के साथ निम्नलिखित राज्यों से प्राप्त पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत सम्बन्धी शासनादेंशों की प्रतियॉ प्रेषित कर रहा हूँ, जिसके अनुसार सम्बन्धित राज्य की पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि में मंहगाई राहत की दरें एवं प्रभावी तिथि निम्नानुसार होगीः–

कमांक	राज्य का नाम	विषय /दर/प्रभावी तिथि	शासनादेश का संदर्भ
1	MAHARASHTRA	1.Dearness Relief Increase to 34% on Pension/Family Pension w.e.f. 01.01.2022 2. Dearness Relief Increase to 203% for the family pension being drawn in the pre-revised scale (sixth pay) w.e.f 01.01.2022	(1) Ref No. GR. No. DRP-2022/CR 47/SER-4, Dated 17.08.2022 (2) Ref No. GR. No. DRP-2022/CR 47/SER-4, Dated 17.08.2022
2	MADHYA PRADESH	1. Goverment of Madhya Pradesh order regarding revised rate of Dearness Relief (@ 22% in 7th Pay and @ 174% in 6th Pay Scale) w.e.f. 01.05.2022 to Pensioners/Family Pensioners of State of Madhya Pradesh 2. Goverment of Madhya Pradesh order regarding revised rate of Dearness Relief (@ 28% in 7th Pay and @ 189% in 6th Pay Scale) w.e.f. 01.08.2022 to Pensioners/Family Pensioners of State of Madhya Pradesh	1. Ref No. GO. No. F 9-3/2019/Rule/IV Dated 02.08.2022 2. Ref No. GO. No. F 9-3/2019/Rule/IV Dated 02.08.2022

आपसे अनुरोध है, कि संलग्न शासनादेशों में निहित निर्देशानुसार उक्त दरों से, सम्बन्धित राज्य के पेंशनरों को पेंशन /पारिवारिक पेंशन में मंहगाई राहत का भुगतान देयता के आधार पर करने की व्यवस्था सुनिश्चित करें एवमं इस कार्यालय को भी सूचित करें । उक्त आदेशों की प्रति कोषागार के नोटिस बोर्ड में चस्पा करके व्यापक रूप से प्रचारित कर एवं अपने अधीनस्थ उप कोषागारों एवं बैंको को भी एक प्रति प्रेषित करें।

संलग्नकः– उपरोक्तानुसार ।

भवदीय

वरि० लेखाधिकारी / पेंशन

No. Pension(Misc)/ **dated :-**

Copy forwarded for information and necessary action to:-

SL.	Name of the Office & Address
1	AG(A&E) Maharashtra,, 2nd floor Pratishtha Bhawan, New Marine Line, 101 Maharshi Karve Road, Church Gate Dhobi Talao, Mumbai 400020
2	Office of the Principal Accountant General (A&E)-II, Madhya Pradesh , Lekha Bhawan, Jhansi Road, Gwalior- 474002
3	Director of Treasuries, Jawahar Bhawan, 10th Floor, Lucknow 226001
4	निदेशक, वित्तीय सांख्यिकी, निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ -226001
5	Sr. Accounts Officer, O/o the Accountant General (A&E)-II, Uttar Pradesh, Audit Bhawan, Vibhuti Khand, Gomatinagar, Lucknow-226010.
6	Dy. Accountant General (Pension) Cell Local.
7	Secretary to AG (A&E)-II, UP, Prayagraj

वरि0 लेखाधिकारी/पेंशन

2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road, Churchgate, Mumbai – 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail : agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website : http://agmaha.cag.gov.in

pay) w.e.f. 1st January 2022.

Government of Maharashtra
Finance Department
Government Resolution No.: DRP-2022/CR.47 /SER-4
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032.
Date: 17th August, 2022.

Read -

Government Resolution No.: DRP-2022/C.R 24/SER-4, Date 31.3.2022.

Resolution-

Government is pleased to decide that the rate of dearness relief with effect from 1st January, 2022 will be revised from 196% to 203% to the State Government pensioners /family pensioners who are drawing pension in the pre-revised scale (As per Sixth Pay Commission). Revised dearness relief with arrears from 1st January 2022 will be payable in cash with pension / family pension of the month of August 2022.

2. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, i.e. Pay and Accounts Officer, Mumbai/Treasury Officers, as the case may be, to calculate the quantum of dearness relief payable in each individual case.

3. Government is also pleased to direct that above decision should mutatis mutandis, apply to those pensioners including family pensioners of Recognised and Aided Educational Institutions, Agricultural / Non-Agricultural Universities and Affiliated Non-Government colleges to whom the pension scheme is made applicable

4. In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 248 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah.V of 1962) and of all the other powers enabling it in that behalf. Government is further pleased to decide that the above decision shall apply to the pensioners including family pensioners of Zilla Parishads.

5. The expenditure on this account should be debited to the Budget Heads to which the retirement benefits of the employees mentioned in the above paras are debited and should be met from the grants sanctioned thereunder.

6. All orders in force in regard to the payment of relief on pension sanctioned by Government from time to time will, mutatis mutandis, apply to the dearness relief now sanctioned.

This Government resolution of Maharashtra Government is available at the website www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 202208171627547705. This order has been signed digitally.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra

RAMAKANT
SHIVAJIRAO
GHATGE

Digitally signed by RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE
DN: CN = RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE, C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = FINANCE DEPARTMENT
Date: 2022.08.17 16:35:33 +05'30'

भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग
महालेखाकार का कार्यालय
(लेखा एवं हकदारी)-I, महाराष्ट्र
2 रा मंजिल, प्रतिष्ठा भवन, न्यु मरीन लाईन्स, 101, महर्षी कर्वे रोड, चर्चगेट,
मुंबई - 400 020. दूरभाष क्र.- (022)22039680, फैक्स - 22080934.
ई-मेल: agaeMaharashtra1@cag.gov.in, वेबसाईट: http://agmaha.cag.gov.in

सत्यमेव जयते
Government of India

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL
(ACCOUNTS & ENTITLEMENT)-I, MAHARASHTRA
2nd Floor, Pratishtha Bhavan, New Marine Lines, 101, Maharshi Karve Road,
Churchgate, Mumbai - 400 020. Tel.No.- (022) 22039680, Fax - 22086984
e-mail: agaeMaharashtra1@cag.gov.in, Website: http://agmaha.cag.gov.in

1st January, 2022.

Government of Maharashtra
Finance Department
Government Resolution No.: DRP-2022/CR. 47 /SER-4
Hutatma Rajguru Chowk, Madam Cama Road,
Mantralaya, Mumbai 400 032.
Date: 17th August, 2022.

Read -

Government Resolution, Finance Department No.: DRP-2022/C.R 24/SER-4, dated 31.3.2022.

Resolution-

Government is pleased to decide that the rate of dearness relief with effect from 1st January, 2022 will be revised from 31% to 34% to the State Government pensioners /family pensioners on their Basic Pension/Family Pension. Revised dearness relief with arrears from 1st January 2022 will be payable in cash with pension / family pension of the month of August 2022.

2. It will be the responsibility of the Pension Disbursing Authority, i.e. the Pay and Accounts Officer, Mumbai/Treasury Officers, as the case may be, to calculate the quantum of dearness relief payable in each individual case.

3. Government is also pleased to direct that above decision should mutatis mutandis, apply to those pensioners including family pensioners of Recognised and Aided Educational Institutions, Agricultural / Non-Agricultural Universities and Affiliated Non-Government colleges to whom the pension scheme is made applicable..

4. In exercise of the powers conferred by the proviso to Section 248 of the Maharashtra Zilla Parishads and Panchayat Samitis Act, 1961 (Mah.V of 1962) and of all the other powers enabling it in that behalf. Government is further pleased to decide that the above decision shall apply to the pensioners including family pensioners of Zilla Parishads.

5. The expenditure on this account should be debited to the Budget Heads to which the retirement benefits of the employees mentioned in the above paras are debited and should be met from the grants sanctioned thereunder.

6. All orders in force in regard to the payment of relief on pension sanctioned by Government from time to time will, mutatis mutandis, apply to the dearness relief now sanctioned.

7. This Government resolution of Maharashtra Government is available at the website www.maharashtra.gov.in. Reference no. for this is 202208171612481205. This order has been signed digitally.

By order and in the name of the Governor of Maharashtra.

RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE

Digitally signed by RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE
DN: CN = RAMAKANT SHIVAJIRAO GHATGE, C = IN, S = Maharashtra, O = GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, OU = FINANCE DEPARTMENT
Date: 2022.08.17 16:25:16 +05'30'

सत्यमेव जयते

लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

वित्त विभाग,
वल्लभ भवन–मंत्रालय–भोपाल

क्र. एफ 9–3/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 02 अगस्त 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग
अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश ।

विषय :– मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

—00—

वित्त विभाग के परिपत्र कमांक एफ 9–3/2019/नियम/चार, दिनांक 14 दिसम्बर 2021 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 अक्टूबर 2021 से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 164% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 17% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों /परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 मई 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :–

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत की वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात् संशोधित मंहगाई राहत की दर	
	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छठवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 मई 2022 से (माह मई 2022 की पेंशन/ परिवार पेंशन, जो जून 2022 में देय होगी)।	10%	5%	174%	22%

* 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation)पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता(Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों को भी उक्त मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन कमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम–2/चार, दिनांक 05–10–76 के प्रतिबंधो के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की मृत्यु के कारण अनुकंपा के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मांमलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नही होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने अपनी पेंशन का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल पेंशन (सारांशीकरण के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन के ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होंगे, जिन्होने उपक्रमों/स्वशासी संस्थाओं/मंडलों/निगमों आदि में संविलियन पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग के ज्ञाप कमांक एफ 9/9/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई हिस्से के प्रत्यावर्तन के पात्र हो गए हैं।

6/ मंहगाई राहत के भुगतान पर होने वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के समस्त पेंशन संवितरणकर्ता अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय संहिता 2020 के सुसंगत प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेंशनरों को उपरोक्त अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

8/ संचालक पेंशन, बैंक की शाखाओं में नमूना जांच करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के भुगतानों में कराया जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन,वित्त विभाग

मध्यप्रदेश शासन
वित्त विभाग,
वल्लभ भवन-मंत्रालय-भोपाल

क्र. एफ 9-3/2019/नियम/चार भोपाल, दिनांक 21 सितम्बर, 2022

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
अध्यक्ष, राजस्व मंडल, ग्वालियर,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त जिलाध्यक्ष,
मध्यप्रदेश।

विषय :- मध्यप्रदेश राज्य के पेंशनरों को पेंशन पर मंहगाई राहत स्वीकृत करने के संबंध में।

---o o o---

वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9-3/2019/नियम/चार, भोपाल, दिनांक 02 अगस्त, 2022 के द्वारा राज्य शासन के पेंशनरों/परिवार पेंशनरों को दिनांक 01 मई, 2022 (भुगतान माह जून 2022) से छठवें वेतनमान में मूल पेंशन/परिवार पेंशन पर 174% की दर से एवं सातवे वेतनमान में 22% की दर से मंहगाई राहत स्वीकृत है।

2/ राज्य शासन द्वारा राज्य के पेंशनरों / परिवार पेंशनरों को वर्तमान में देय मंहगाई राहत की दर में 01 अगस्त, 2022 से निम्नानुसार वृद्धि की सहर्ष स्वीकृति दी जाती है :-

अवधि जब से देय है	मंहगाई राहत में वृद्धि की दर		वृद्धि के पश्चात संशोधित मंहगाई राहत की दर	
	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान	छटवां वेतनमान	सातवां वेतनमान
01 अगस्त, 2022 से (माह अगस्त, 2022 की पेंशन/परिवार पेंशन जो सितम्बर, 2022 में देय होगी)	15%	6%	189%	28%

* 80 वर्ष अथवा उससे अधिक आयु के पेंशनरों को देय अतिरिक्त पेंशन पर भी मंहगाई राहत देय होगी।

3/ उपरोक्त मंहगाई राहत अधिवार्षिकी (Superannuation), सेवानिवृत्त (Retiring), असमर्थता (Invalid) तथा क्षतिपूर्ति (Compensation)पेंशन पर देय होगी। सेवा से पदच्युत या सेवा से हटाये गये कर्मचारियों को स्वीकार किये गये अनुकंपा भत्ता (Compassionate Allowance) पर भी मंहगाई राहत की पात्रता होगी तथा परिवार पेंशन तथा असाधारण

निरंतर...

पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनरों [illegible] मंहगाई राहत वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ.बी. 6/43/76/नियम-2/चार, दिनांक [illegible]-76 के प्रावधानों के अधीन देय होगी। यदि किसी व्यक्ति को उसके पति/पत्नि की [illegible] के आधार पर सेवा में रखा गया है तो ऐसे मामलों में परिवार पेंशन पर मंहगाई राहत की पात्रता नहीं होगी परन्तु यदि पति/पत्नि की मृत्यु के समय वह सेवा में है तो पति/पत्नि की मृत्यु के कारण देय परिवार पेंशन पर उसे मंहगाई राहत की पात्रता होगी।

4/ ऐसे पेंशनर्स जिन्होंने [illegible] का एक भाग सारांशीकृत (Commute) कराया है, उन्हें मंहगाई राहत उनकी मूल [illegible] के पूर्व की पेंशन) पर देय होगी।

5/ यह आदेश राज्य शासन [illegible] ऐसे सेवानिवृत्त कर्मचारियों पर भी लागू होगें, जिन्होने उपक्रमों/ स्वशासी संस्थाओं/ [illegible] विनियम पर एक मुश्त राशि आहरित की है और जो वित्त विभाग [illegible] 5/3/2006/नियम/चार, दिनांक 5-1-2007 के अंतर्गत पेंशन के एक तिहाई [illegible] के पात्र हो गए हैं।

6/ मंहगाई राहत के [illegible] वाले रूपये के अपूर्ण भाग को अगले रूपये में पूर्णांकित किया जायेगा।

7/ राज्य शासन के [illegible] अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि, मध्यप्रदेश कोषालय [illegible] प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए राज्य शासन के सिविल पेशनरों [illegible] अनुसार स्वीकृत मंहगाई राहत का शीघ्र भुगतान सुनिश्चित करें।

8/ संचालक पेंशन, बैंक [illegible] करें तथा विसंगति की स्थिति में उसका समायोजन आगामी माह के [illegible] जाना सुनिश्चित करें।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(पी.के.श्रीवास्तव)
उप सचिव
म.प्र.शासन, वित्त विभाग